न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 59 दिनांक 24/01/25

प्रार्थीनी:-

1.आसकंवर पत्नि नाथूसिंह
जाति राजपूत, निवासी बावड़ीकला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.नारणाराम पुत्र चेनाराम 2.मिठूराम पुत्र नरसाराम, जाति मेघवाल 3.गोरधन पुत्र मलदान, जाति चारण 4.मिश्रीराम जाति मेघवाल 5.सिवाराम पुत्र रतनाराम, जाति मेघवाल निवासी बावड़ीकला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
बास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 08/2019 दिनांक : 24/01/25

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठोड़ान के मौजा गुमानपुरा के खेत खसरा सं. 1104/96 रकबा 36.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे |

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/ 100 to 103 दिनांक 24/01/25

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीनी आसकंवर
3. विप्रार्थीगण नारणाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बाजरड़ा/कोटड़ा/धनाऊ/सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 12:26:57 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन